

कार्यालय केन्द्रीय नज़ारत सिविल कोर्ट बलिया ।

नीलामी नोटिस

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि न्यायालय परिषद बलिया में 04 अदद पृष्ठी मिटाई चाय नमकीन की दूकान, 03 अदद फोटोग्रैफ की दूकान, 01 अदद मलू की दूकान, 01 अदद भूजा दाना की दूकान तथा 01 अदद निर्गटिय में फोटो बनाने की दूकान कुल 10 अदद दूकान स्थापित हैं । जिसमें वित्तीय वर्ष 2023-24 में 02 अदद पृष्ठी मिटाई चाय नमकीन की दूकान, 02 अदद फोटोग्रैफ की दूकान, 01 अदद मलू की दूकान, 01 अदद भूजा दाना की दूकान की नीलामी हुई थी तथा 02 अदद पृष्ठी मिटाई चाय नमकीन की दूकान, 01 अदद फोटोग्रैफ की दूकान, तथा 01 अदद निर्गटिय में फोटो बनाने की दूकान की नीलामी किसी द्वारा बोली न लगाने के कारण नहीं हो पायी थी। उक्त सभी दूकानों को वित्तीय वर्ष 2024-25 की नीलामी हेतु पुनः सम्मिलित किया गया है । जिसकी नीलामी हेतु दिनांक 20 | 03 | 2024 की तिथि नियत की जाती है । नीलामी दस कक्षीय न्यायालय भवन, के केन्द्रीय सभागार कक्ष में साय 4.00 बजे से खुली बोली के आधार पर की जायेगी । अतएव जिन महानुभाव को उक्त दूकानों की नीलामी लेनी हो वह नियत दिनांक 20 | 03 | 2024 को केन्द्रीय सभागार कक्ष में समय से उपस्थित आकर नीलामी में भाग लेकर नीलामी ले सकते हैं ।

बोली लगाने की शर्तें

- 1 उपरोक्त वर्णित दूकानों की नीलामी वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 01 | 04 | 24 से 31 | 3 | 25 के लिये की जानी है । वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीलाम दूकान की धनराशि सरकारी धनराशि होगी तथा जो दूकान वित्तीय वर्ष 2023-24 में नीलाम नहीं हुई हैं उसका वित्तीय वर्ष 2022-23 के नीलामी धनराशि सरकारी बोली माना जायेगा ।
- 2 प्रत्येक बोलीकर्ता को जमानत धनराशि के रूप में वित्तीय वर्ष 2024-25 के नीलामी धनराशि का 1/4 भाग वतौर जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा तथा जिन दूकानों की नीलामी उक्त वित्तीय वर्ष में नहीं हुई है, उनके लिये वित्तीय वर्ष 2022-23 के नीलामी धनराशि का 1/4 भाग वतौर जमानत बोली लगाने हेतु जमा करना होगा तभी वह नीलामी में भाग ले सकता है ।
- 3 जिस व्यक्ति की बोली सबसे अधिक होगी नीलामी की कार्यवाही उसके पक्ष में सम्पादित की जायेगी ।
- 4 प्रत्येक बोली कर्ता अपने 2 बोली से वाध्य होगा । भले ही वह ऊँची या नीची हो । वह भली भाँति समझना चाहिए कि नीलामी की राशि माफ़ी पर किसी भी दशा में विचार नहीं किया जा सकता है ।
- 5 प्रत्येक बोली कर्ता अपने अपने आधार कार्ड की ख प्रमाणित छायाप्रति दाखिल करना अनिवार्य होगा तथा मूल साध लाना होगा ।
- 6 माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय को अधिकार होगा कि किसी भी टेण्डर को बिना कारण बताये निरस्त कर सकते हैं तथा अपरिहार्य परिस्थिति में दूकान का स्थान बदल सकते हैं । इसमें किसी को कोई एतराज नहीं होगा ।
- 7 नीलाम प्राप्तकर्ता को नीलाम की धनराशि 4 वरावर किश्तों में पहली किश्त माह अप्रैल-2024, दूसरी किश्त माह जुलाई, तीसरी किश्त माह अक्टूबर तथा चौथी किश्त माह जनवरी 2025 में जमा करना होगा । कोई भी धनराशि बकाया रह जाने पर उसकी बसूली भू राज्य के बकाये के रूप में की जायेगी ।
- 8 नोटिस वास्ते अनुमोदन माननीय जिला जज महोदय के समक्ष प्रस्तुत हो ।

[Signature]
7-3-24
अध्यक्ष

नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं 0 3 बलिया ।

प्रतिलिपि निम्नांकित स्थानों पर चस्पा किये जाने हेतु

- 1 माननीय जनपद न्यायाधीश बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 2 जिलाधिकारी बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 3 जिला पंचायत परिषद/नगर पालिका परिषद के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 4 लो0नि0बि0 बलिया के नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु ।
- 5 जिला जज बलिया के वेबसाईड पर अपलोड किये जाने हेतु । *[Signature]*
- 6 स्थानीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु ।

[Signature]
7-3-24
222/2024
Sen
7/3/2024

0
Approval
Date
7-3-24
District J.J.
Ballia

[Signature]
7-3-24
अध्यक्ष
नीलाम समिति / अपर जिला जज
कोर्ट सं 0 3 बलिया ।

Seen
b
7-3-24